

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.11(4)नविवि/प्रतापगढ़/2023

जयपुर, दिनांक:- 10 AUG 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को प्रतापगढ़ के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में
1.	प्रतापगढ़
2.	बगवास
3.	मानपुरा
4.	रघुनाथपुरा
5.	मकनपुरा
6.	सालमगढ़
7.	गोपालपुरा
8.	टीमरवा
9.	मनोहरगढ़
10.	बनेड़ीयाखुर्द
11.	कड़ीयावद
12.	अमलावद
13.	बमोत्तर
14.	मणावला
15.	करमदीखेड़ा
16.	छोटीबम्बोरी
17.	डोर
18.	राजारुण्डी
19.	नयाखेड़ी
20.	चतरीयाखेड़ी
21.	हिंगोरीया

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।

6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय